UPSI010040502026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–775/2026

सी.आई.एस. नं.– 1821/2026

सुनील, उम्र 32 वर्ष, पुत्र श्रीराम, निवासी ग्राम कडबड़ा, थाना सकरन, जिला सीतापुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

अपराध संख्या–129/2026
धारा–331(4), 305(ए), 317(2) BNS
थाना–सकरन, जिला– सीतापुर।

निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त सुनील की ओर से अपराध संख्या 129/2026, धारा–331(4), 305(ए), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना सकरन, जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अनूप कुमार का शपथ–पत्र दाखिल कर यह कथन किया गया है कि शपथकर्ता उपरोक्त मुकदमें के अभियुक्त सुनील का चचेरा भाई है। अभियुक्त सुनील का सत्र न्यायालय के समक्ष यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। जमानत प्रार्थना–पत्र की धारा 9 में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित किया है और न ही विचाराधीन है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकेश अवस्थी के द्वारा थाना सकरन में, मुख्य रूप से, इस आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 27/28.04.2026 को रात समय करीब 1.30 बजे अज्ञात चोरों ने वादी की बनी सड़क पर मार्केट में सीढ़ी लगाकर मार्केट के ऊपर बने कमरे का ताला तोड़कर

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-01, सीतापुर।

व बाक्स का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने–चांदी के कुछ जेवर व नगद 17,500/- रुपए चोरी कर ले गए हैं। सुबह कमरे में बिखरा पड़ा सामान देख कर इधर–उधर पता लगाया। कोई पता न लगने पर वादी द्वारा थाने पर सूचना दी गई।

4– वादिनी के उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर, अपराध संख्या 129/2026, अंतर्गत धारा 331(4), 305(a) भारतीय न्याय संहिता, थाना सकरन, जिला सीतापुर में अभियोग पंजीकृत किया गया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत–प्रार्थना–पत्र में, मुख्य रूप से, यह कहा गया है कि वादी मुकदमा द्वारा उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है, जबकि वह निर्दोष है। उसका वाद से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई है। स्थानीय थाना की पुलिस दिनांक 04.06.2026 को घर से थाने पर पकड़ लाई तथा गांव की पार्टी बन्दी व राजनैतिक चुनावी रंजिश के कारण मुकदमें में फर्जी चालान कर दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। जो बरामदगी पुलिस के द्वारा दिखाई गई है, वह फर्जी बरामदगी है। घटना का कोई चश्मदीद व स्वतंत्र जनता का साक्षी नहीं है। अतः प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

6– वादी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह मौखिक बहस की जा रही है कि अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की जेब से जेवर व 100/– रुपए नगद बरामद हुए हैं। उसका चार अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास रहा है। उक्त कथन करते हुए प्रार्थना की गयी कि जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

7– मैंने दोनों पक्षों के तर्को को सुना तथा केस डायरी एवं संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह बहस की जा रही है कि अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है, केवल संदिग्ध के रूप में पकड़कर और उसी के बयान के आधार पर मामले में अभियुक्त बनाया गया है। फर्द बरामदगी फर्जी है। जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

9– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह पाया जा रहा है कि एफ०आई०आर० अज्ञात में दर्ज हुई है और दिनांक 05.06.2026 की फर्द बरामदगी के आधार पर संदिग्ध के रूप में प्रार्थी/अभियुक्त को ग्राम ईरापुर दक्षिणी पुलिया तिराहा के पास से पकड़ा गया है और उसी के बयान के आधार पर उसे पुलिस के द्वारा बरामदगी दिखाई गई है। अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है और पुलिस के द्वारा अभियुक्त के बयान के आधार पर बरामदगी दिखाई गई है।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-01, सीतापुर।

10– मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण–दोष पर बिना कोई राय व्यक्त किए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार पाया जाता है। अतः अभियुक्त सुनील का जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त रूप से, स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सुनील** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–775/2026, अपराध संख्या–129/2026, अंतर्गत धारा–331(4), 305(ए), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना सकरन, जिला सीतापुर, सशर्त रूप से स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग 50,000/-(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाये:–

(i). प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में समान आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

(ii). प्रार्थी/अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

(iii). प्रार्थी/अभियुक्त परीक्षण में सहयोग करेगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो न्यायालय अपने स्तर से उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी। इस जमानत आदेश में उल्लिखित निष्कर्ष का प्रभाव दौरान विचारण मामले के गुण–दोष पर नहीं पड़ेगा।

दिनांक– 27.06.2026

(मो० सफीक)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01, सीतापुर।
J.O.Code-UP6141

अमनदीप/–

अपर सत्र न्यायाधीश,
को[illegible]01, सीतापुर।

Digitally signed by MOHD SAPHEEK
Date: 2026.06.29 15:02:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur.